डीजी परिपत्र संख्या- 17 /2013

देवराज नागर,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक: अप्रैल 30, 2013

प्रिय महोदय,

प्राय: यह देखा जा रहा है कि कभी-कभी सड़क दुर्घटना, बिजली-पानी आदि की मांगों को लेकर, पुलिस अभिरक्षा में हुई मृत्यु को लेकर जनता द्वारा रोडजाम किया जाता है तथा राजकीय सम्पत्ति व निजी वाहनों को क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए निम्नांकित कार्यवाही की जाये:-

सामान्य कार्यवाही:

1- यह सुनिश्चित किया जाये कि जो भी अधिकारी मौके पर जाये, उसकी व उसके अधीनस्थों की गाड़ियों में दंगा निरोधक उपकरण, लाउडहेलर, टियर गैस गन एवं रबर बुलेट अवश्य उपलब्ध रहे।

2- बिजली-पानी या अन्य मांगों को लेकर किये जा रहे रोडजाम को सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर रोडजाम समाप्त कराया जाये।

3- साक्ष्य एकत्रीकरण की दृष्टि से वीडियो रिकार्डिंग अवश्य करायी जाये। वीडियोग्राफर को अधिकारी अपने साथ रखें तथा उसे निर्देशित करे कि जो गड़बड़ी कर रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी तत्काल करें ताकि उपद्रवियों की पहचान व साक्ष्य संकलन में सहायता मिल सके।

4- संभावित भीड़ एवं आगणित परिस्थितियों के अनुरूप फोर्स के प्रकार एवं नफरी तथा विभिन्न उपकरणों, बल प्रयोग के विभिन्न विकल्पों पर भी समय रहते विचारण कर लिया जाना चाहिए।

5- संचार व्यवस्थायें, अग्निशमन व्यवस्थायें, बचाव एवं राहत टीम, चिकित्सीय व्यवस्थायें आदि भी सुसंगत रूप से नियोजित कर ली जानी चाहिए।

पूर्व घोषित आयोजित प्रदर्शन:

1- पुलिस अधिकारी, आयोजक से मिलकर प्रदर्शन का रास्ता एवं ऐसी शर्त तय करेंगे जिससे प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हो।

2- सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, छुरी/लाठी सहित, प्रतिबन्धित होंगे।

3- आयोजक के द्वारा इस बात का बंधपत्र दिया जायेगा कि प्रदर्शन शान्तिपूर्वक होगा तथा इसके लिए आवश्यक स्थानों पर मार्शल/व्यवस्थापक नियुक्त किये जायेंगे।

4- पुलिस/प्रशासन द्वारा आयोजन की यथासम्भव रूप से वीडियोग्राफी सुनिश्चित करायी जाये।

बल प्रयोग के लिए दिशा-निर्देश:

1- जहां तक सम्भव हो समझा-बुझा कर, विश्वास में लेकर लोगों को कानून उल्लंघन से रोका जाये। स्थानीय नेता, प्रभावशाली व्यक्तियों का भी सहयोग लिया जाये। सड़क

जाम करने वालों को यह भी समझाया जाये कि यदि उनके द्वारा हिंसा की गयी तो मुकदमे कायम किये जायेंगे इससे उन्हें शस्त्र लाईसेनस, ड्राइविंग लाइसेन्स तथा पासपोर्ट मिलने में कठिनाई होगी।

2- बल प्रयोग से पूर्व प्रचुर चेतावनी देना चाहिए। यह चेतावनी प्रत्येक प्रकार के बल प्रयोग से पूर्व विशिष्ट रूप से आवश्यक है।

3- न्यूनतम बल का प्रयोग- इसका अभिप्राय यह है कि विभिन्न विकल्पों के अन्तर्गत अपेक्षाकृत हल्का बल पहले प्रयुक्त किया जाये। इस प्रसंग में हम विभिन्न माध्यमों को निम्नानुरूप, सामान्यक्रम में, श्रेणीबद्ध कर सकते है:-

- चेतावनी (ध्वनि प्रसारित एवं लिखित)
- मार्ग अवरोधन (मोबाइल बेरीकेडिंग आदि)
- गिरफ्तारी (परिस्थितियों/सहमति अनुरूप)
- वाटर कैनन (रंगों का प्रयोग सामयिक)
- अश्रुगैस (विभिन्न प्रकारों काक उपयुक्त प्रयोग)
- लाठी
- प्लास्टिक पैलेट्स
- रबर बुलेट
- आग्नेयास्त्र

4- बल प्रयोग उसी न्यूनतम सीमा एवं अवधि तक किया जाये जो कि उल्लंघनकर्ता को निष्क्रिय करने के लिये जरूरी हो।

<u>अभियोग पंजीकरण एवं अनुवर्ती कार्यवाहियों हेतु निर्देश:</u>

1- यथासम्भव नामजद एफ.आई.आर. करायी जाये।

2- घटनाक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी मीडिया द्वारा उपलब्ध होने की दशा में साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध करायी जाये।

3- पुलिस द्वारा Prevention of Damage to Public Property Act-1984 में दिये गये प्राविधानों का प्रयोग अवश्य किया जायेगा।

4- क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति के कार्य हेतु प्रत्येक जनपद में अपर जिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

5- निरोधात्मक एवं उपयुक्त कार्यवाही के अभाव में थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी जनपद उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

30.4.13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
<u>प्रभारी जनपद उ0प्र0 (नाम से)</u>
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।